

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

प्रक्रिया: प. 15(7) शिक्षा / प्रा.शि. / 2008

जयपुर, दिनांक: 26/9/08

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

विषय:- राज्य में निम्नी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जयपुर से जारी मान्यता/सीट आवंटन पत्र के आधार पर निर्देशानुसार निम्नलिखित 17 निम्नी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2008-09 हेतु नियमानुसार काउन्सिलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर में एक मुश्त 1,00,000/- रुपये विलम्ब शुल्क/शारित (Non-refundable) के रूप में बैंक ड्रॉपट के माध्यम से जमा करवाये जाने की शर्त पर प्रदान की जाती है -

क्र.सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
(1)	जे.एल. मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, शास्त्री नगर जोधपुर	STC	50
(2)	इल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कोटपुतली जयपुर	STC	50
(3)	मन्मथरा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गी.पो. बासनी लगनागढ़, सीकर	STC	50
(4)	माता श्री नारायण दास शिक्षक प्रशिक्षण महिला विद्यालय, बहरोड, अलवर	STC	50
(5)	बी.के. त्रिपाठी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, धौलपुर	STC	50
(6)	भारतीय विद्या मन्दिर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, चमनपुरा पाली	STC	50
(7)	एस.एन. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, एन.एच.-3, धौलपुर	STC	50 (सीट वृद्धि)
(8)	बालाजी इन्स्टीट्यूट महावीर नगर-II, कोटा	STC	50
(9)	सिमा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विराट नगर जयपुर	STC	50
(10)	कैम्पेज कोट कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सीतापुरा, जयपुर	STC	50
(11)	यदुवंशी इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन, गाँव पोरट सोहली, बुहाना, झुझुनू	STC	50 (सीट वृद्धि)
(12)	ओम कोशरी इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, झासाबाड रोड, कोटा	STC	50
(13)	भगवती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगानगर सिटी, सवाईमाधोपुर	STC	50 (सीट वृद्धि)
(14)	प्रशान्ति कॉलेज ऑफ एज्युकेशन फॉर वीमेन, महावीर नगर-II, कोटा	STC	50
(15)	श्री गणेश कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, गाँव पोरट बुडिना, बुहाना, झुझुनू	STC	50 (सीट वृद्धि)
(16)	एस.एस. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, हिरण नगरी सैक्टर-5, उदयपुर	DEd (STC)	50
(17)	भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, रीगस, श्रीमन्गोपुर, सीकर	STC	50

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावे।

- प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होनी चाहिये। समकक्ष परीक्षा के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक होगा। इसी के अतिरिक्त जो सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी अथवा उर्दू में गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।
- शैक्षिक सत्र 2008-09 में दीएसीटीसी/एनटीटी पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्री-प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा जो कि सूची के अनुरूप किया जायेगा।

3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में नवीनतम प्रभावी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।

5. एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित निम्नांकित शर्तों की पूर्ति प्रस्ताव संस्था को छात्र आवंटित किये जावें:-
 - (iv) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into a joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.
 - (v) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
 - (vi) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10.12.2007.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2007 के विनियम 7(11) के तहत इन संस्थाओं को उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति के अधीन मान्यता/सीट आवंटन पत्र जारी किये गये हैं, जबकि इन्हीं विनियमों के विनियम 8(12) के तहत क्षेत्रीय समिति द्वारा विनियम 7(11) के अधीन मान्यता का आदेश प्राप्त होने और परीक्षण निकाय के साथ संबंधन प्राप्त होने के बाद ही संस्था में छात्र प्रविष्ट किये जाने का प्रावधान है, इसलिए इन संस्थाओं को क्रम संख्या 5 (i) पर अंकित शर्त की पालना एवं सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर में ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाई गई राशि की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत किये जाने पर ही छात्र आवंटित किये जावें।


 शासन उप सचिव
 प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षार्थ, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. समन्वयक, बीएसटीसी/एनटीटी 2008 व प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया कार्डसलिंग में सम्मिलित करने से पूर्व निर्धारित फीस, राशियाँ एवं शास्ति जमा करवाना सुनिश्चित करें।
7. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
8. संबंधित संस्था
9. रक्षित पत्रावली।


 शासन उप सचिव